



दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस ने मनाया “पुलिस झण्डा दिवस”

आज दिनांक 23.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस लाइन महोबा में “पुलिस झंडा दिवस” के अवसर पर झंडा फहराकर गार्ड द्वारा सलामी दी गई तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा पुलिस कार्यालय में झंडा फहराकर गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद डीजीपी महोदय का सन्देश पढ़कर पुलिस कर्मियों को सुनाया गया। पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने सम्बोधन में बताया कि किसी भी संगठन का ध्वज उसकी पहचान होती है, साथ ही कहा कि 23 नवम्बर का दिन उ0प्र0 पुलिस के लिये ऐतिहासिक है। यह ध्वज पुलिस के गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रतीक है, ध्वज से पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। विभाग के वीर जवानों के शौर्य, कर्तव्यपरायणता एवं उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के फलस्वरूप ही 23 नवम्बर, 1952 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा उ0प्र0पु0 एवं पी0ए0सी0 को सबसे पहले ध्वज प्रदान किया गया था। सभी पुलिसकर्मियों को पीडितों को न्याय, सबको सुरक्षा और सम्मान दिलाने का संकल्प दिलाते हुये पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी तथा पुलिस विभाग की गौरवशाली गरिमा को बनाये रखने हेतु पुलिस को संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ रहने के निर्देश दिये। जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े।

क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय द्वारा अपने-अपने सर्किल के थानों/चौकियों में पुलिस झंडा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा पुलिस कर्मियों द्वारा आपस में झंडा दिवस का स्टीकर लगाकर खुशियाँ मनाई गयी।





दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल





दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस ने जुआ के विरुद्ध कार्यवाही कर 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार..

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जुआ/अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 22.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम ने फदना रोड आरा मशीन के बगल में खाली पड़े प्लाट की आड़ में झाड़ियों में ताश पत्तो से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे अभियुक्त गण 1. सचिन पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल 2. राजेश पुत्र परशुराम 3. अमन पुत्र हनीफ 4. देवेन्द्र पुत्र पक्कड़ 5. भगत पुत्र जगतसिंह अहिरवार 6. सन्दीप पुत्र जागेश्वर नामदेव 7. भूपेन्द्र पुत्र मुन्नालाल अहिरवार 8. शिवाकान्त पुत्र रामेश्वर गुप्ता को मय मालफड़ 10730 रु0 नकद व ताश के 52 पत्ते 2 अधजली मोमबत्तियां एवं जामा तलाशी के 460 रु0 सहित गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 227/2020 धारा 13 G ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त गण -

1. सचिन पुत्र जयप्रकाश अग्रवाल निवासी बनियातपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा
2. राजेश पुत्र परशुराम निवासी जन्टपुरा कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा
3. अमन पुत्र हनीफ निवासी मेन तिगैला कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा
4. देवेन्द्र पुत्र पक्कड़ निवासी कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा
5. भगत पुत्र जगतसिंह अहिरवार निवासी रेवहटा थाना चिकासी जिला हमीरपुर
6. सन्दीप पुत्र जागेश्वर नामदेव निवासी बुड़ौरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा
7. भूपेन्द्र पुत्र मुन्नालाल अहिरवार निवासी बुड़ौरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा
8. शिवाकान्त पुत्र रामेश्वर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना पनवाड़ी जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – थाना पनवाड़ी..।

1. उ0नि0 अवधेश सिंह सेंगर 2. उ0नि0 शेरैआलम खां
3. का. अजीत सिंह 4. का. विमल कुमार 5. का. नितिन कुमार 6. म.का. रानी सिंह

अपराध विवरण -

मु.अ.सं. 227/20 धारा 13 G ACT थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

बरामदगी कुल-

मालफड़ 10730 रु0 नकद व ताश के 52 पत्ते 2 अधजली मोमबत्तियां एवं जामा तलाशी के 460 रु0..।





दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



यातायात माह नवम्बर के तहत एसपी/एसपी महोबा द्वारा यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक

महोबा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में आज दिनांक 23.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम की अध्यक्षता में पटेल शिक्षण संस्थान इण्टर कालेज ननौरा, थाना श्रीनगर जनपद महोबा में यातायात माह नवम्बर के तहत उपस्थित विद्यालय के छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

जिसमें यातायात नियमों से जागरूक करते हुये पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि महोबा पुलिस द्वारा यातायात के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है अतः सभी यातायात नियमों का पालन करें व दूसरों को भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील करें उक्त जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि वाहनों को सावधानी पूर्वक व नियमानुसार चलाएं। बाईक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें, तेज वाहन न चलाएं, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें साथ ही वाहन चलाते समय नशीली सामग्रियों का सेवन न करने को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद महोबा में यातायात में काफी बदलाव हुए हैं। इस माह (नवम्बर) में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जायेगा। एसपी ने बताया कि यातायात माह पूरे माह नवम्बर तक चलाया जायेगा जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जायेगा जिससे आप सभी के सहयोग से काफी हद तक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्याम प्रताप पटेल, प्रभारी यातायात उ0नि0 अरविन्द मिश्रा, SP Pro उ0नि0 राजेश मौर्य, स्कूल के प्राचार्य/सम्मानित शिक्षकगण व थानाक्षेत्र श्रीनगर के गणमान्य व्यक्ति/समाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।





दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं को किया गया जागरूक

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान *मिशन शक्ति* के तहत लगातार बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है जिसके क्रम में आज दिनांक 23.11.2020 को निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह-नोडल अधिकारी मिशन शक्ति द्वारा ग्राम पचपहरा थाना कोतवाली महोबा में गुलाबी गैंग की अध्यक्ष फरीदा बेगम की उपस्थिति में संगठन की टीम को जागरूक किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 श्रीमती सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय टीम एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ ऊदल चौक, महोबा पर स्कूली छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान "मिशन शक्ति" के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181, 112,1076 को साझा किया गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

जागरूक करने हुये बताया गया कि थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जहां आप अपने साथ हुये दुर्व्यवहार/अभद्रता को खुलकर बता सकेंगी एवं जिसका त्वरित निस्तारण महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिस महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा साथ ही महिलाओं से जुड़े विधिक अधिकारों की जानकारी भी देंगी। जिससे नारी गरिमा से खिलवाड करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जा सके।





दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च करके की गई अराजक तत्वों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक



आज दिनांक 23.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/बाजार/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं **कोविड-19** के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के

समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार/संवेदनशील जगहों पर पैदल गस्त करके चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।





दिनांक:- 23.11.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 15800/-रु0 का जुर्माना एवं “यातायात माह” के तहत तहत किये गये 57 ई-चालान

चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन पर समस्त थानों द्वारा कोविड-19 के तहत 135 व्यक्तियों से 15800/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-57चालान भी किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरुक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।



आज दिनांक 23.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा “यातायात माह” यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध